# प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन

# (पीएमजेवीएम)

# परिचालन दिशानिर्देश

सत्यमेव जयते

**भारत सरकार**

**जनजातीय कार्य मंत्रालय**

**फा.सं. 08/09/2020-जीविकोपार्जन**

**27 मार्च, 2023**

# अनुक्रमणिका

परिभाषाएँ.......................................................................................................... 1

1. पृष्ठभूमि ..........................................................................................................3

2. उद्देश्य (विजन)..................................................................................................3

3. उद्देश्य.............................................................................................................3

4. सामान्य विशेषताएं..............................................................................................4

5. योजना के तहत समर्थित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां...............................6

6. कार्यान्वयन तंत्र...................................................................................................6

7. अनुदान जारी करना..............................................................................................9

8. निगरानी और मूल्यांकन......................................................................................10

9. संपत्तियों का संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम)...........................................10

10. जागरूकता सृजन और प्रचार...........................................................................11

11. अस्पष्टता को दूर करना / शिथिलीकरण..........................................................11

# परिभाषाएं

क. **ट्राइफेड:** बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत स्थापित भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर का सहकारी निकाय है।

ख. **जनजातीय उत्पाद -** इसका अर्थ है जनजातीय प्राकृतिक उत्पाद, जनजातीय सांस्कृतिक उत्पाद, सेवाएँ और जनजातीय प्रसंस्कृत उत्पाद। जनजातीय उत्पाद का नाम ट्राइफेड के उप-नियम 1 (xxi), xxi(क), (xxi)(ख) और xxi(ग)(ग) में परिभाषित किया गया है।

ग. **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) -** ट्राईफेड में लघु वन उत्पाद मूल्य निर्धारण आयोग की सिफारिश पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित एक गैर-राष्ट्रीयकृत, गैर-ईमारती लघु वन उपज (एमएफपी) का उचित और लाभकारी मूल्य, जिस पर एमएफपी संग्राहकों को सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए एक राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को खरीदना आवश्यक है।

घ. **वन धन स्वयं सहायता समूह (वीडीएसएचजी)–** वीडीएसएचजी बीस सदस्यों (20) तक का एक स्वयं सहायता समूह है, जिसे लाभार्थी कहा जाता है, जिसमें कम से कम सत्तर प्रतिशत (70%) अनुसूचित जनजाति (एसटी) शामिल हैं और लघु वन उपजों (एमएफपी) के एकत्रीकरण/संग्रह में लगे हैं या अन्य गतिविधियों में शामिल हैं और इस शर्त के अधीन हैं कि वीडीएसएचजी में प्रमुख पदों जैसे अध्यक्ष, महासचिव आदि को एसटी समुदाय के व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा। वीडीएसएचजी, जो पूर्ववर्ती स्वीकृत वीडीवीके का एक हिस्सा हैं, हालांकि, योजना के लाभों का लाभ उठाना जारी रखेंगे, यदि वे अपनी मंजूरी/गठन के समय मौजूद योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

ङ. **वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) -** एक वीडीवीके में लगभग 15 वीडीएसएचजी शामिल होंगे और एमएफपी और अन्य जनजातीय उत्पादों/उपजों के मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए 300 सदस्यों से इसका गठन किया जाएगा। वीडीवीके, जो पूर्ववर्ती स्वीकृत वीडीवीके का एक हिस्सा हैं, हालांकि योजना के लाभों का लाभ उठाना जारी रखेंगे, यदि वे अपनी मंजूरी/गठन के समय मौजूद योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

च. **वन धन उत्पादक उद्‌यम (वीडीपीई) -** राज्य के सोसायटी या सहकारी समिति अधिनियम (पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त या आत्मनिर्भर सहकारी समिति अधिनियम सहित, इसे किसी भी नाम से जाना जाता है) या समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम 1956 के तहत उत्पादक कंपनी के अंतर्गत पंजीकृत वीडीवीके के सदस्यों द्वारा गठित एक संगठन।

छ. **हाट बाजार –** एक गांव में स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां खरीद एजेंसियां और जनजातीय संग्राहक या अन्य लोग अपनी उपज खरीदते और बेचते हैं।

ज. **गोदाम-** वह स्थान जहां एमएफपी/वन उत्पाद/जनजातीय उत्पादों का भंडारण किया जाता है।

झ. **आपूर्तिकर्ता-** एक आपूर्तिकर्ता एक व्यक्तिगत जनजातीय कारीगर, जनजातीय एसएचजी/एफपीओ, जनजातियों के लिए काम करने वाले सरकारी संगठन/एजेंसियां, आदिवासियों (जनजातियों) के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन और जहां जनजातीय लाभ साझा करने में भागीदार के रूप में लगे हुए हैं, पीएमजेवीएम योजना के तहत गठित वीडीवीके आदि हो सकते हैं। जहां भी आपूर्तिकर्ता व्यक्तियों का एक समूह है और या एक संगठन है, समूह/संगठन में शामिल व्यक्तियों का कम से कम सत्तर प्रतिशत (70%) जनजातीय होंगे और इस शर्त के अधीन होगा कि आपूर्तिकर्ता संगठन में प्रमुख पदों जैसे अध्यक्ष, महासचिव आदि को एसटी समुदाय के व्यक्तियों द्वारा भरा (संचालित किया) जाएगा।

**1. पृष्ठभूमि**

जनजातीय कार्य मंत्रालय दो योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, नामतः (i) 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास' (एमएफपी के लिए एमएसपी के दो उप-घटकों के साथ और वन धन योजना) और (ii) 'जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता' जिसका उद्देश्य वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति एमएफपी संग्राहकों को सुरक्षा जाल प्रदान करना और जनजातीय उत्पादों और उपज का विकास और विपणन करना है। जनवरी, 2020 में नीति आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय को जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में क्षेत्र विशेष कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दी थी। अक्टूबर 2020 में, माननीय सामाजिक न्याय और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में "कौशल विकास और रोजगार सृजन" के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में एक अम्ब्रेला कार्यक्रम अर्थात "प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)" - मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम" नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की। इस पृष्ठभूमि में, प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) की संकल्पना उपरोक्त दो योजनाओं के विलय के साथ की गई है।

**2. विजन**

पीएमजेवीएम योजना का विजन बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की स्थापना के माध्यम से जनजातीय उपज/उत्पादों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए एक कुशल और पारदर्शी तंत्र स्थापित करके जनजातीय आबादी के लिए आजीविका के अवसरों और उद्यमिता को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना है।

**3. उद्देश्य**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित तरीकों से जनजातियों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आय सृजन/संवर्धन गतिविधियों के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना है:

क. वंचित जनजातीय परिवारों की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाना और उत्पादन प्रणाली के विविधीकरण और एकीकरण के माध्यम से आजीविका के बहुविध (कई) अवसरों का सृजन करना।

ख. व्यक्तियों या वीडीएसएचजी, वीडीवीके या वीडीपीई के सदस्यों के रूप में अजजा और अन्य परंपरागत वन निवासियों का क्षमता निर्माण।

ग. लघु वन उपज (एमएफपी) तक जनजातीय वन संग्राहकों की पहुंच बढ़ाने और वन आधारित स्थायी आजीविका के इष्टतम उपयोग के लिए एमएफपी के मूल्यवर्धन हेतु सक्षम वातावरण प्रदान करना;

घ. जनजातीय लोगों के पारंपरिक और अन्य कौशलों की ओर (की दिशा में) केंद्रित कृषि / गैर-कृषि उद्यम विकास को प्रोत्साहित करना और सुविधा देना तथा स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल पद्धतियों के माध्यम से बड़ी अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादों / कौशलों का विविधीकरण करना।

ङ. जनजातीय उद्यमियों को वित्त, क्षमता निर्माण के अवसरों तक पहुंचने, गुणवत्ता और अन्य प्रमाणन प्राप्त करने, तकनीकी उन्नयन और संबंधित पहलुओं तक पहुँचने में मदद करने के लिए उपयुक्त लिंकेज की सुविधा प्रदान करना।

च. आय वृद्धि की सुविधा के लिए ट्राइफेड द्वारा प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से या जनजातीय उत्पादों/उपज हेतु अन्य विपणन तंत्रों के माध्यम से बाजार सहायता प्रदान करना। ऐसे उत्पादों/उपज की ब्रांडिंग और प्रचार इस कवायद का एक हिस्सा होगा।

छ. योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने हेतु ट्राईफेड सहित विभिन्न हितधारकों की संस्थागत क्षमता को बढ़ावा देना और मजबूत करना।

**4. सामान्य सुविधाएँ**

क. योजना की प्रकृति: योजना 'पीएमजेवीएम' एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें भारत सरकार (जीओआई) द्वारा भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) को 100% अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।

ख. योजना का कवरेज: अधिसूचित जनजातीय आबादी वाले या प्रवासी जनजातीय आबादी वाले सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को 2021-22 से 2025-26 के दौरान योजना के तहत कवर किया जाएगा।

ग. केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी: ट्राइफेड योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी होगी। ट्राइफेड योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योजना को क्रियान्वित करेगा।

घ. राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए): एसआईए राज्य सरकारों के नोडल विभाग द्वारा नामित एजेंसियां हैं जो अर्ध-सरकारी संस्थाएं और राज्य सरकार के फील्ड (क्षेत्रीय) कार्यालय हो सकते हैं जैसे जनजातीय विकास सहकारी समितियां/निगम, वन विकास निगम, लघु वन उपज सहकारी समितियां/संघ या राज्य सरकार का कोई अन्य संस्थान हो सकता है, जिसके पास जनजातीय आजीविका हस्तक्षेप/उपाय करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता हो।

ङ. योजना के तहत निधि का प्रावधान: योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार और बजटीय आवंटन के भीतर जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर ट्राइफेड को निधियां प्रदान की जाएंगी।

च. योजना का दायरा: जनजातीय लोगों की आजीविका के अवसरों में सुधार के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत एमएफपी की खरीद, एमएफपी/गैर-एमएफपी के मूल्य संवर्धन और विभिन्न जनजातीय उत्पादों की बिक्री और खरीद के माध्यम से जनजातीय उत्पादों/उपजों के प्रचार के लिए एक मजबूत विपणन तंत्र स्थापित करना ।

छ. डेटाबेस प्रबंधन: इस योजना के तहत सभी गतिविधियों का स्वचालन और डिजिटलीकरण, जिसमें डेटाबेस और पोर्टल के विकास के साथ-साथ ई-कॉमर्स साइट्स शामिल हैं, को ट्राइफेड द्वारा किया जाएगा ताकि योजना की गतिविधियों के ऑनलाइन प्रसंस्करण और कार्यान्वयन की प्रगति की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम किया जा सके।

ज. प्रशासनिक व्यय: जैसा कि योजना का कार्यान्वयन ट्राइफेड के माध्यम से किया जा रहा है, ट्राइफेड के कर्मचारियों/कार्यालयों के वेतन और अन्य स्थापना व्यय इस योजना के तहत वित्त पोषण का हिस्सा होंगे।

**5. योजना के तहत समर्थित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां**

क. एमएसपी निर्धारण और गैर-राष्ट्रीयकृत, गैर-ईमारती एमएफपी की खरीद

ख. अवसंरचना विकास / सृजन अर्थात हाट बाजार, भंडारण गोदाम और विशेष परियोजनाओं सहित अन्य सुविधाएं

ग. विभिन्न एमएफपी, गैर-एमएफपी और अन्य उपजों/ उत्पादों का मूल्य संवर्धन

घ. वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) और वन धन उत्पादक उद्यम (वीडीपीई) की स्थापना

ङ. वीडीवीके/वीडीपीई द्वारा बनाए गए उत्पादों और अन्य जनजातीय उत्पादों (जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प आदि) की बिक्री और खरीद।

च. विभिन्न त्योहारों/प्रदर्शनियों/जनजातीय कारीगर मेलों/महोत्सवों आदि के आयोजन/भागीदारी के माध्यम से बाजार में विभिन्न जनजातीय उपजों/ उत्पादों का विज्ञापन, ब्रांडिंग और प्रचार।

छ. कौशल और उद्यमिता विकास

ज. योजना के तहत सृजित वीडीवीके, वीडीपीई और अन्य सुविधाओं/परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग

झ. जनजातीय उपज/उत्पादों के भौगोलिक संकेतक।

ञ. आईटी/ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सृजन/उन्नयन, संचालन का डिजिटलीकरण

ट. लाभार्थियों का सर्वेक्षण

ठ. अनुसंधान एवं विकास

**6. कार्यान्वयन तंत्र**

क. ट्राइफेड दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी होगी।

ख. ट्राइफेड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा, जिसमें संबंधित वर्ष के दौरान की जाने वाली गतिविधियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाएगा।

ग. ट्राइफेड राज्य के नोडल विभागों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर करेगा, जो योजना को लागू करने के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) को नामित करेंगे, जिसके लिए एसआईए को 2% सेवा शुल्क देय होगा।

घ. ट्राइफेड द्वारा वार्षिक कार्य योजना/परिचालन योजना तैयार की जाएगी।

ङ. ट्राइफेड के बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना/परिचालन योजना मंत्रालय को अनुदान सहायता जारी करने की सुविधा के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

च. एमएफपी के लिए एमएसपी के निर्धारण हेतु योजना के तहत एक एमएफपी मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ (प्राइसिंग सेल) (एमएफपीपीसी) का गठन किया जाएगा। एमएफपीपीसी की सिफारिश पर एमओटीए द्वारा समय-समय पर एमएसपी निर्धारित/संशोधित किया जाएगा। एमएफपीपीसी की सिफारिश और जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुमोदन पर एमएसपी योजना के तहत मदों को जोड़ने/हटाने का कार्य भी किया जाएगा।

छ. एमएफपी का बाजार मूल्य अधिसूचित एमएसपी से कम होने की स्थिति में और राज्य नोडल विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली खरीद योजना के अनुसार एक प्रतिक्रियात्मक उपाय के रूप में अधिसूचित एमएसपी पर एमएफपी की खरीद के लिए परिक्रामी निधियां (रिवाल्विंग फंड) (100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित) प्रदान की जाएंगी।

ज. खरीदे जाने वाले एमएफपी के मूल्य के अधिकतम 20% तक ओवरहेड व्यय की अनुमति एसआईए को दी जाएगी जिसमें प्राथमिक खरीद एजेंसियों (पीपीए) को दिया जाने वाला कमीशन शामिल है। पीपीए को भुगतान किया जाने वाला कमीशन खरीदे गए एमएफपी के मूल्य के अधिकतम 7.5% की दर से होगा।

झ. राज्य सरकार खरीदे गए एमएफपी को बाजार में बेचकर उसका समय पर निपटान सुनिश्चित करेगी। एमएफपी के निपटान के बाद, बिक्री से प्राप्त आय को परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फंड) में वापस जमा किया जाएगा। लाभ, यदि कोई हो, तो उसे

एसटी संग्राहकों के बीच साझा किया जाएगा। नुकसान के मामले में, परिक्रामी निधियों की पुनःपूर्ति 75:25 के अनुपात में जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। एसआईए को नुकसान का दावा करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से राज्य के महालेखाकार द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित खरीद और निपटान के लेनदेन के संबंध में खातों का वस्तु-वार विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, वन धन योजना के तहत वास्तविक रिपोर्ट के साथ विधिवत लेखापरीक्षित यूसी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उनके नोडल विभागों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

ञ. राज्य सरकार, अपने नोडल विभाग के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ-साथ ट्राइफेड को बुनियादी ढांचे के विकास/सृजन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। ट्राइफेड उनके मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) का गठन करेगा।

ट. ट्राइफेड कच्चे माल, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, टूल किट और मशीनरी, सलाह शुल्क, पैकेजिंग और ब्रांडिंग, परिवहन, भंडारण आदि पर खर्च करने के लिए वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य सरकार को अधिकतम 15.00 लाख रुपये की राशि मंजूर करेगा। वीडीवीके में एमएफपी/गैर-एमएफपी का मूल्यवर्धन किया जाएगा।

ठ. प्रत्येक जिले में, जहां वीडीवीके स्वीकृत हैं या स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है, वहां समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समन्वय और निगरानी समिति होगी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय और निगरानी समिति होगी।

ड. वीडीवीके को एक अनुसूचित / सहकारी बैंक में बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष चाहे उन्हें किसी भी पदनाम से बुलाया जा सकता है, के चुनाव / चयन सहित कामकाज के अपने तौर-तरीकों को तैयार किया जाएगा ।

ढ. जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वीडीवीके के सदस्यों को वीडीपीई बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए तीन साल की अवधि में प्रति वीडीपीई 64.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। । इस राशि का उपयोग निर्माण और इन्क्यूबेशन लागत (तकनीकी सहायता एजेंसी लागत, बेसलाइन सर्वेक्षण, जनजातीय संग्राहकों को जुटाने, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, एक्सपोजर विज़िट, पेशेवर हैंड होल्डिंग्स और अन्य ओवरहेड्स सहित), निगरानी और मूल्यांकन, प्रबंधन सूचना प्रणाली, प्रबंधन लागत (प्रशासनिक और प्रबंधन), प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और पर्यवेक्षण सहित शुल्क के लिए किया जाएगा। । वीडीपीई को वित्तीय सहायता कृषि मंत्रालय की '10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन' योजना के तहत एफपीओ को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता की तर्ज पर प्रदान की जा सकती है।

ण. एसआईए और ट्राइफेड वन धन विकास केंद्र / वीडीपीई को न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए उनकी प्राथमिक खरीद एजेंसियों के रूप में कार्य करने को बढ़ावा देंगे, बल्कि विभिन्न जनजातीय उत्पादों के संभावित आपूर्तिकर्ताओं के रूप में भी कार्य करने के लिए भी बढ़ावा देंगे।

त. ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के लिए एक पोर्टल विकसित करेगा, जो अंततः जनजातीय उपज/उत्पादों के बारे में सभी सूचनाओं के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन बन जाएगा, जिसमें जनजातीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और शिल्प, जनजातीय उत्पादक समूह/ उद्यम, मूल्य श्रृंखला गतिविधियां, बाजार, कौशल विकास प्रशिक्षण और मॉड्यूल, कस्टम हायरिंग सेंटर/प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनर/प्रशिक्षु डेटाबेस और जनजातीय उद्यमी/कारीगरों का डेटाबेस आदि शामिल है।

थ. ट्राइफेड वीडीवीके/वीडीपीई/जनजातीय उपज/उत्पादों के सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मॉड्यूल तैयार करेगा।

ध. आकांक्षी जिलों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 के तहत भूमि शीर्षक धारकों पर योजना के कार्यान्वयन के दौरान विशेष ध्यान दिया जाएगा।

न. ट्राइफेड द्वारा योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी।

**7. अनुदान जारी करना**

क. वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ट्राइफेड को दो किश्तों में अनुदान जारी किया जाएगा।

ख. ट्राइफेड को बजट के 50% की पहली किस्त, ट्राइफेड से मसौदा वार्षिक कार्य योजना, मसौदा एमओयू और पिछले वर्ष के दौरान जारी अनुदानों के अनंतिम यूसी के साथ मांग पत्र प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।

ग. 50% की दूसरी किस्त एमओयू पर हस्ताक्षर करने और अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना और पिछले वर्ष के दौरान जारी अनुदानों के लेखापरीक्षित यूसी जमा करने के बाद जारी की जाएगी।

घ. निधियों के उपयोग और निधि-प्रवाह (फंड फ्लो) में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), जीएफआर के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

ङ. ट्राईफेड योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने हेतु केंद्र या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार की किसी अन्य योजना से अभिसरण प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

**8. निगरानी और मूल्यांकन**

क. ट्राइफेड योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त ढांचा तैयार करेगा।

ख. ट्राइफेड मध्यावधि समीक्षा के लिए तीसरे पक्ष की एजेंसी को शामिल कर सकता है और योजना के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा कर सकता है।

ग. वेब आधारित एकीकृत योजना प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस): इस तरह के स्केल और कवरेज वाली योजना को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए ऑनलाइन गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए एकीकृत योजना प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के साथ योजना के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप होगा। आईएसएमएस में ऑनलाइन आवेदन जमा करने, एमआईएस ट्रैकिंग, वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी, रिपोर्ट साझा करने और योजना प्रबंधन के लिए अन्य उपकरणों के लिए अंतर्निर्मित (इन बिल्ट) सिस्टम होंगे। प्रणाली सभी संबद्ध संस्थानों और हितधारकों को परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने और योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने में सक्षम बनाएगी।

घ. जनजातीय कार्य मंत्रालय योजना के तहत परियोजनाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करेगा।

**9. परिसंपत्तियों का संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम)**

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से ट्राइफेड यह सुनिश्चित करेगा कि योजना के तहत सृजित सुविधाओं की सेवाओं को हितधारकों के अलावा सामान्य रूप से समुदाय तक बढ़ाया जाए। वीडीवीके/वीडीपीएई परियोजना अवधि से परे योजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों (भवन, उपकरण किट, प्रसंस्करण/मूल्य वर्धन इकाइयों, सामुदायिक खुदरा आऊटलेट आदि) के संचालन एवं रख रखाव (ओ एंड एम) के लिए जिम्मेदार होंगे। एसआईए इसके लिए आवश्यक होने पर हितधारकों के साथ एक समझौता/समझौता ज्ञापन करेगा और ट्राइफेड को इस तथ्य से अवगत कराएगा।

**10. जागरूकता सृजन और प्रचार**

योजना का व्यापक प्रचार करने के लिए ट्राइफेड द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के माध्यम से जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। इसके अलावा, योजना के घटकों से संबंधित पहलुओं पर सामाजिक संदेशों का प्रसार किया जा सकता है।

**11. अस्पष्टता को दूर करना/शिथिलीकरण**

उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी, मंत्रालय योजना के दिशा-निर्देशों के किसी भी प्रावधान को संशोधित/शिथिल कर सकता है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से योजना के कार्यान्वयन के दौरान जहां भी आवश्यक हो, अस्पष्टताओं पर स्पष्टीकरण भी जारी कर सकता है।

----------